



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1948 (श10)

(सं० पटना 1057) पटना सोमवार 31 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त 2026

एस० ओ० 197 दिनांक 31 अगस्त 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 103 एवं सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम-2(घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय-VIII के अधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण से संबंधित स्थापनाओं के लिए उपकर निर्धारण के लिए निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों स्तंभ-3 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लिए निर्धारण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गयाजी	गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं०-01/COSS-10-02/2025-198/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

25 अगस्त 2026

एस० ओ० 198 एस० ओ० 197 दिनांक 31 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं०-01/COSS-10-02/2025-199/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 25th August 2026

SO 197 date 31 August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 103 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), read with Rule 2(d) of the Social Security (Central) Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers specified in Column (2) of the Table below, within the areas specified in Column (3), as Assessing Officers for the purpose of assessment and determination of cess payable by establishments engaged in building or other construction activities under Chapter VIII of the said Code.

Table

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gayaji, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhangha, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-198/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1057-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>